

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज लर्डेडी.....बनाम.....धर्मा.वर्गोरा. मु. सं.
-------------	--

30/18

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नकल नामान्तरकरण संख्या 96 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खातेदार रामहेत का देहान्त होने पर उसके पुत्र धर्मा जल्ली,करण मानसिंह छोटल्ली पि. रामहेत के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है सायला ने अपने आपको रामहेत की पुत्री होना बताया है जिसे अप्रार्थीगा ने भी स्वीकार किया है इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक पारिवारिक मामला है तथा पारिवारिक मामले में रिकार्डेड खातेदार को भी पाबंद किया जा सकता है। सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम धन्तूरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, व 50 कुल किता 5 रकबा 0.25 है, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 167/1 रकबा 0.12 है, खसरा नम्बर 149/1, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159/1, 160/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1 कुल किता 15 रकबा 2.67 हैक्टयर को रहन विक्रय नहीं करे। राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौसा)  
कैम्प